



**THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY**

No. 885

23 Kartik, 1938 (S)

Ranchi, Tuesday, 14th November, 2017

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

14th November, 2017

S.O. No. 139- Dated - 14th November, 2017-- In exercise of the powers conferred by section 128 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable by any registered person for failure to furnish the return in **FORM GSTR-3B** for the month of October, 2017 onwards by the due date under section 47 of the said Act, which is in excess of an amount of twenty five rupees for every day during which such failure continues:

Provided that where the total amount of state tax payable in the said return is nil, the amount of late fee payable by such registered person for failure to furnish the said return for the month of October, 2017 onwards by the due date under section 47 of the said Act shall stand waived to the extent which is in excess of an amount of ten rupees for every day during which such failure continues.

2. This notification shall be deemed to be effective from 15th November, 2017.

[File.No Va Kar / GST / 07/ 2017]

By the order of the Governor of Jharkhand,

K. K. Khandelwal,
Principal Secretary-cum Commissioner.

वाणिज्यकर विभाग-

अधिसूचना

14 नवम्बर, 2017

एस. ओ. - 139 - दिनांक- 14 नवम्बर, 2017-- झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख तक अक्टूबर, 2017 से आगे के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में अपनी विवरणी न भर पाने वाले किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के द्वारा देय विलंब फीस की रकम का अधित्याग कर सकती है, जो ऐसे प्रत्येक दिन जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, पच्चीस रुपये की रकम से अधिक है ।

परंतु ऐसे विवरणों में देय राज्य कर की कुल रकम शून्य है, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख तक अक्टूबर माह से आगे उक्त विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा देय विलंब फीस की रकम, ऐसे विस्तार तक जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान विफलता जारी रहती है, दस रुपये की रकम से अधिक है, अधित्याग जारी रहेगा ।

2. यह अधिसूचना 15/11/2017 से प्रवृत्त होगी ।

[सं.सं .वांकर/जी०एस०टी०/04/2017]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,
प्रधान सचिव-सह-आयुक्त।